

“दिल्ली नगर निगम दस्ते द्वारा गाड़ियां उठाये जाने के सन्दर्भ में”

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली नगर निगम के दस्ते द्वारा सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को क्रन से उठाया जा रहा है जिसके कारण व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियों के उठाने की एवज में गाड़ी के वजन के हिसाब से भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। व्यापारी भाईयों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15-3-2018 को अपमा का एक प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली नगर निगम की उपायुक्त श्रीमती रुचिका कत्याल जी से उनके कार्यालय ओल्ड हिन्दु कॉलेज, कश्मीरी गेट में उनसे मिला। बैठक में महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी, सचिव श्री उमेश सेठ जी के साथ कोषाध्यक्ष श्री विनय नारंग जी ने भाग लिया।

साथियों, बैठक में अपमा प्रतिनिधिमण्डल ने दिल्ली नगर निगम दस्ते द्वारा सड़क पर खड़ी गाड़ियों को उठाये जाने के कारण व्यापारियों को होने वाली परेशानियों से उपायुक्त महोदया को अवगत करवाया एवं उनको बताया कि कश्मीरी गेट में वाहनों के हिसाब से पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उपायुक्त महोदया जी ने हमारी परेशानियों को ध्यानपूर्वक सुना एवं उपायुक्त महोदया जी ने अपनी परेशानियों को हमारे समक्ष रखा। उपायुक्त महोदया जी ने बताया कि कश्मीरी गेट सेन्ट्रल क्षेत्र के अंतर्गत आता है यहां पर गाड़ियों की आवागमन काफी है इसलिए व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि अपनी गाड़ियां अधिकृत पार्किंग जैसे कि (मोरी गेट, कश्मीरी गेट मैटों स्टेशन एवं आई.एस.बी.टी. बस टर्मिनल) में एक पंक्ति में ही गाड़ी खड़ी करें, दूसरी पंक्ति में खड़ी गाड़ियों को क्रैन से उठाया लिया जाएगा तथा गाड़ी के वजन के हिसाब जुर्माना लगाया जाएगा। उपायुक्त महोदया जी ने कहा कि विशेषतौर पर मदर डेयरी से लेकर पुलिस बूथ तक गाड़ियां खड़ी होने के कारण उनकी वाहनों को निकलन में काफी परेशानी होती है, इसलिए इन अनाधिकृत पार्किंग में गाड़ी ना खड़ी करें। अपमा प्रतिनिधिमण्डल के अनुरोध पर उपायुक्त महोदया जी ने आश्वासन दिया कि दो दिन तक गाड़ियों को नहीं उठाया जाएगा। पार्किंग व्यवस्था के समाधान हेतु उपायुक्त महोदया जी ने आगामी सोमवार को अपमा प्रतिनिधिमण्डल के साथ पुनः बैठक करने का आश्वासन दिया।

व्यापारी भाईयों, आपसे निवेदन है कि आप अपनी गाड़ियों को अधिकृत पार्किंग में ही खड़ी करें अन्यथा दिल्ली नगर निगम के दस्ते द्वारा गाड़ियां उठायी जाएगी तथा उसके एवज में गाड़ी के वजन के हिसाब से भारी जुर्माना देना पड़ेगा।

सरकूलर नं0 अपमा/2016-2018/268

“अपमा निःशुल्क डिस्पेन्सरी में दवाओं का वितरण”

सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि 01 मार्च से 15 मार्च, 2018 तक जिन दानदाताओं ने अपमा निःशुल्क चिकित्सालय में जरूरतमंद मरीजों के इलाज एवं दवाईयों हेतु 3100/- रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :-

01. श्री रामनाथ चुघ जी मै0 वंदना ऑटोमोबाइल्स(इंडिया), 1243/10, प्रथम तल, छोटा बाजार, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006 ने अपनी धर्मपत्नी स्व0 श्रीमती संतोष चुघ जी की पांचवी पुण्य स्मृति में।

अपमा प्रधान एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को शान्ति दें तथा इनके परिवार को सुख, समृद्धि व खुशहाली प्रदान करें एवं अपने समस्त परिवार एवं प्रियजनों सहित सदैव स्वस्थ, निरोग, प्रसन्नचित रहते हुए दीर्घायु को प्राप्त करें।

सरकूलर नं0 अपमा/2016-2018/269

अपमा के सरकूलर निकालने हेतु छपे हुए पेपरों की मांग”

व्यापारी भाईयो, आपको विदित है कि अपमा के सरकूलर अधिकतर छप हुए सुन्दर पेपरों पर जारी होते हैं। इन पेपरों में व्यापारी भाई अपने ट्रेड के उत्पादकों की तीन इंच चौड़ी रंगीन स्ट्रिप देकर विज्ञापन का लाभ उठाते हैं। आपके PRODUCT के प्रचार का यह बहुत ही अच्छा एवं आसान तरीका है। अपमा इसमें विज्ञापनदाता से किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेती है। केवल छपा हुआ कागज लेती है। अतः इच्छुक व्यापारी भाईयों से अनुरोध है कि वे विज्ञापन के इस सुनहरे अवसर का पूरा-पूरा लाभ उठाकर अपमा को पेपर देकर सहयोग प्रदान करें एवं अपने PRODUCT का प्रचार करें।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव